

निम्नलिखित पर २०२५

तारीख हुक्म	<p>Case No - २०/२०२२ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज २०२२/१३७</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
8/4/25	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उप-। वकील प्रार्थी ने कथन किया की प्रार्थी (हिमतराज का देवान्त हो चुका है अतः प्रार्थी के आपत मुकाम को देखते पर लेने हेतु समझ सद्ये है न्यायभूमि में समझ दिया जाता है समझ ही वकील प्रार्थी को हिदायत दी जाती है। की आगामी तारीख पेशी पर रेस्पोण्डेंट जं. ३.५.२५ की तलबी हेतु वर्तमान पत्र के PF रूप समझ आवश्यक रूप से पेश करे, अन्वेषण प्रकटा में रजिस्ट्रीय कार्रवाई अफिल में जारी जावेगी। पत्रावली आदिना दिनांक ०२/५/२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अति. जिला कलेक्टर पाली</p>	
22/4/25	<p>पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी सुनवाई होकर पत्रावली दिनांक 28/4/25 को पेश हो।</p>	
28/4/25	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी सह. उप-। वकील अप्रार्थी उप-। वकील प्रार्थी को प्रकटा में रेस्पोण्डेंट रूप ३.५.२५ की तलबी हेतु PF समझ पेश किया जाने वक्तू कर-बकर हिदायत दिए जाने के उपरान्त भी वकील अपीलार्ड द्वारा साक्षी अफेव्रा की पालना नहीं की जा रही है। वकील अपीलार्ड को साक्षी अफेव्रा की पालना हेतु पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं। निम्नलिखित अपील, आर्षी. अपीलार्ड द्वारा तलबी की अर्थ रेस्पोण्डेंट के नाम PF रूप समझ पेश नहीं करने से अन्तर्गत आदेश ७ नियम 5 ५८ के तहत खारिज किया जाता है। निर्णय की तलब प्रति के साथ कृपया न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली अफिल मुकाम देकर इस नक्कर न्यायालय के नम्बर से कत हो।</p> <p style="text-align: right;">अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	